

चीफ जस्टिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को भी इसी पीआईएल पर सुनवाई रखी

बिलासपुर-रायपुर एनएच बदहाल < नाराज हाईकोर्ट ने मैनेजर को इसी सड़क मार्ग से होते हुए किया तलब

हरिभूमि न्यूज >> बिलासपुर

छत्तीसगढ़ की सड़कों की बदहाली को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई में खराब सड़कों को मरम्मत नहीं किए जाने को लेकर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी कर इसी सड़क मार्ग से



स्वास्थ्य खबर

होते हुए कोर्ट में तलब किया है। चीफ जस्टिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए मंगलवार को भी इसी पीआईएल पर सुनवाई रखी है।

सुनवाई के दौरान बताया गया कि बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे प्रदेश का महत्वपूर्ण हाईवे है। यह प्रदेश की राजधानी और न्यायधानी को सीधे तौर

पर आपस में जोड़ती है। बिलासपुर और आसपास के जिलों तथा सरगुजा संभाग जाने के लिए बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के लोग इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग के लोग रायपुर बिलासपुर एनएच से ही होकर राजधानी पहुंचते हैं। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद भी इसके रखरखाव में नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सड़कों की बदहाली को लेकर डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई।

हम वहां चलें या ना चलें, आप क्या चाहते हैं

एनएचआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता से चीफ जस्टिस ने पूछा कि मिस्टर वानखेडे आप तो रोज रायपुर जाते होंगे, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने के लिए। तो आपने इस सड़क की स्थिति भी देखी होगी। नेशनल हाईवे वाले जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करते हैं, सड़क पर स्टॉपर लगाते हैं वे बेतरतीब, लावारिस हालत में सड़क पर पड़ी रहती हैं। हम वहां चले या ना चले, आप क्या चाहते हैं कि पब्लिक उसको उड़ाते चले। पैच वर्क करने के लिए जो मटेरियल सड़क पर छोड़ा गया है उससे भी गंदगी फैल रही है और दुर्घटनाओं की आशंका चौबीस घंटे बनी रहती है। इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं और जनहानि हो रही है। इसके अलावा मवेशी भी इस सड़क पर दुर्घटना का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस तरह की स्थिति कब तक रहेगी और इसमें सुधार कब तक होगा। हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर को नोटिस जारी कर इसी सड़क मार्ग से होते हुए कोर्ट में मंगलवार को तलब किया है।